पत्रांक : 01/स्था॰(विविध)–05–57/2011 (पार्ट–I) –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार भक्त,
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।

_द्वितीय स्मार_

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कनीय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :–

विषयः–झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली–2001 के नियम–19 में अंकित प्रावधान के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची की अधिसूचना सं॰–9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में प्रोन्नति एवं ACP/MACP की स्वीकृति हेतु चल एवं अचल सम्पति से संबंधित विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–1646 दिनांक 14.05.2015, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची का पत्रांक–2423 दिनांक 16.03.2015, विभागीय पत्रांक–2606, दिनांक –30.07.15 एंव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची का पत्रांक–935 दिनांक–02.02.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2606 दिनांक 30.07.15 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में सभी अभियंताओं से चल एवं अचल सम्पति से संबंधित विवरणी अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि पुनः कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची का पत्रांक–935 दिनांक 02.02.16 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशित है कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाय।

अतएव अनुरोध है कि जिन अभियंताओं द्वारा अपना सम्पति विवरणी अबतक समर्पित नहीं किया गया है, वे एक सप्ताह के अन्दर अपना सम्पति विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। संबंधित विवरणी ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रोन्नति/ACP/MACP पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनु० :–यथोक्त्।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 831 ✓ रॉची, दिनांक :– 14-03-16

प्रतिलिपि : वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह॰/अस्पष्ट
14-3-16

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

पत्रांक : 01 / स्था॰(विविध)--05--57 / 2011 (पार्ट--I) -- 2606

(168)

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

दिनेश उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख--01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।

स्मार

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कनीय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :- 30-7-15

विषयः--झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली--2001 के नियम--19 में अंकित प्रावधान के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची की अधिसूचना सं॰ 9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल एवं अचल सम्पति से संबंधित विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक--1646 दिनांक 14.05.2015 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची का पत्रांक--2423 दिनांक 16.03.2015

महाशय,

O/C

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक--1646 दिनांक 14.05.2015 द्वारा मांगी गई चल एवं अचल सम्पति से संबंधित विवरणी अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉची का पत्रांक--2423 दिनांक 16.03.2015 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में वैसे पदाधिकारी, जो ससमय अपनी सम्पति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं, उनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि 10 (दस) दिनों के अन्दर अपना सम्पति विवरणी विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय। संबंधित विवरणी ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनु॰ यथोक्त।

30.7.15

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक : 2606 रॉची, दिनांक :-- 30-7-15

प्रतिलिपि : वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु॰ यथोक्त।

30.7.15

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD-15\JOINT SEC\DRAFT\Information of Parparti HI.doc

I 2-51 (167)

पत्रांक 1/विविध-810/2015 का0 2423.

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक, पुलिस
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखंड

रांची, दिनांक 16/3/15

विषयः सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने का प्रभाव निगरानी स्वच्छता एवं प्रोन्नति पर पड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के सभी पदाधिकारियों (चतुर्थ वर्गीय को छोड़कर) को अपनी सम्पत्ति विवरणी देनी है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि कई पदाधिकारियों द्वारा यह ससमय नहीं दी जा रही है।

अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सम्पत्ति विवरणी उपलब्ध कराने का प्रावधान निम्नवत् है:-

1) अखिल भारतीय सेवा

(क) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 (2)

(ख) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा-44

2) राज्य सेवा के पदाधिकारी/कर्मचारी

(क) सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19

(ख) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना संख्या – 9519 दिनांक 22.09.2014

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सभी सरकारी सेवकों को अपनी चल/अचल सम्पत्ति की विवरणी निश्चित अवधि में उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अखिल भारतीय-सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी [illegible] नहीं किया जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(राजीव गौबा)
मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–9/स्था0विविध–08/2015 का0.......[illegible].......राँची, दिनांक– [illegible]

प्रतिलिपिः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ वर्ग को छोड़कर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्दु कुमार ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक –1/विविध–810/2015 का॰–......935....../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक, पुलिस
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखण्ड

राँची, दिनांक 2/2/16

विषय : **सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने का प्रभाव निगरानी स्वच्छता एवं प्रोन्नति पर पड़ने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ : **पूर्व का पत्रांक–2423 दिनांक 16.03.2015**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया स्मरण किया जाय जिसमें सरकार के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों (चतुर्थ वर्गीय को छोड़कर) को अपनी सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने सम्बन्धी निदेश दिया गया था, परन्तु यह देखा जा रहा है कि अधिकांश संवर्ग के पदाधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा यह ससमय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह काफी गम्भीर स्थिति है।

पूर्व के पत्र में यह निदेश दिया गया था कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाय।

पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(राजीव गौबा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड।

Letter